अध्याय–17

महिलाओं का कल्याण एवं विकास तथा सशक्तिकरण

17.1 31.1.2013 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय में कुल 145 कर्मचारी हैं जिनमें से महिला कर्मचारियों की संख्या 20 (अर्थात लगभग 14 प्रतिशत) है। इन 20 महिला कर्मचारियों में से 6 राजपत्रित अधिकारी हैं ।

17.2 कोल इंडिया लि0

17.2.1 कोल इंडिया लिमिटेड लगभग 27944 महिलाओं (31.12.2012) को रोजगार मुहैया कराती है । यह कुल जनशक्ति का लगभग 7.46 प्रतिशत बैठता है । महिला अधिकारियों की संख्या लगभग 607 और कुशल / मासिक आधार पर महिला कर्मचारियों की संख्या 6107 है, शेष अकुशल /दैनिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । कोल इंडिया लि0 में पुरूषों की अपेक्षा महिला कर्मचारियों के कम अनुपात का एक कारण अपने आप में व्यवसाय की प्रकृति है । कोयला खनन अपने आप में एक दुष्कर और खतरनाक कार्य है । इसके अलावा यहां एक नियम है जिसके द्वारा महिला कर्मचारियों के भूमिगत खानों में प्रवेश पर रोक है । अधिकांश महिला अधिकारी कार्मिक तथा वित आदि जैसे प्रशासनिक कार्यों में लगी हैं।

17.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं (विप्स) का फोरम

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित मंशा के अनुपालन के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के मंच (विप्स) का गठन किया गया था ।

सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के तत्वाधान में सार्वजनिक क्षैत्र की महिलाओं (विप्स) के एक मंच की स्थापना 12 फरवरी, 1990 को की गई थी । "विप्स " की कल्पना पर उस समय विचार किया गया जब सार्वजनिक उद्योगों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के सहयोग से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों ने भारतीय संदर्भ में महिलाओं की समस्याओं का विश्लेषण करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 1989 में नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था । इस सम्मेलन में सपोर्ट प्रणाली के रूप में एक राष्ट्रीय नेटवर्क का सृजन करने का निर्णय लिया गया था, जो महिला कर्मचारियों को उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने और सामान्य रूप से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया तथा विशेष रूप से सार्वजनिक उद्यमों में उनका योगदान बढ़ाने में मदद करेगा ।

यह मंच नई दिल्ली में अपने केन्द्रीय शीर्ष निकाय के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है और मुंबई, चैन्नई, कोलकाता तथा नई दिल्ली जैसे चार क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है । इस मंच के उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

- सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान एवं विकास को बढ़ावा देना ।
- महिला कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता को आशावादी बनाने में सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता करना ।
- सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर और बाहर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में प्रेरणात्मक भूमिका निभाना ।

सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर और बाहर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में प्रेरणात्मक भूमिका निभाना ।

उद्यम/क्षेत्रीय यूनिटों में सुसमन्वित कार्रवाई तथा क्षेत्रीय शाखाओं और शीर्ष निकाय के साथ

प्रभावशाली नेटवर्क के मद्देनजर संबंधित उद्यम द्वारा नामित समन्वयकों की अध्यक्षता में प्रत्येक उद्यम में विप्स सेल का गठन किया गया है । प्रत्येक सेल का समन्वयक संबंधित क्षेत्र के साथ संपर्क रखता है और फोरम का सदस्य बनने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों को गतिशील बनाने के कार्यकलापों के बारे में उन्हें अवगत कराता है और विप्स सेल बनाने के लिए अपनी यूनिट की महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी करता है । यह फोरम राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करके प्रत्येक वर्ष फरवरी में विप्स दिवस मनाता है जिसमें उनकी संबंधित कंपनियों द्वारा नामित संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि भाग लेते हैं ।

कोल इंडिया लि0 में कंपनी मुख्यालय कोलकाता और पांच सहायक कंपनियों अर्थात ईसीएल,बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल एवं सीएमपीडीआई में सार्वजनिक क्षेत्र सेल की महिलाओं के लिए एक फोरम है। प्रत्येक विप्स सेल का एक समन्वयक होता है जो विधिवत नियुक्त कार्यपालक समिति के सहयोग से फोरम के विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाता है और उन्हें निष्पादित करता है । कंपनी विप्स के सदस्यों, महिला कर्मचारियों, उनके परिवारों और संपूर्ण समाज के लिए विप्स के विभिन्न कार्यकलापों को सक्रिय सहायता प्रदान करती है जिसमें कल्याणकारी कार्यकलाप, प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियां, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, औद्योगिक जागरूकता दौरे, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं ।

कोल इंडिया लि0 और उसकी सहायक कंपनियां कार्यक्रम के प्रायोजन द्वारा पूर्व निर्धारित स्थलों पर, अधिकांश संख्या में प्रतिनिधिमंडल के नामांकन और श्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रति वर्ष फरवरी में आयोजित सम्मेलन को पूर्व सहयोग तथा संरक्षण प्रदान कर रही है । वास्तव में विगत वर्ष एसईसीएल, ईसीएल एवं बीसीसीएल ने उत्कृष्ट महिला अभिमुखी/लिंगानुकूल कार्यकलापों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया । हाल के वर्षों में विप्स ने जमीनी स्तर की महिलाओं के पास पहुंचने, लाभदायक पुनर्नियोजन का सुझाव देकर उन्हें सबल बनाने और उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देकर, अपवाद स्वरूप प्रतिभा को मान्यता तथा सम्मान देकर उनके हौसले को बढ़ाने में प्रशंसनीय कार्य किया है ।

2012–13 के दौरान डब्ल्यूआईपीएस, सीआईएल(मुख्यालय)का क्रियाकलाप

(1) " अनुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही " पर दो दिवसीय संगोष्ठी कोल भवन के सम्मेलन कक्ष में 23 तथा 24 मई, 2012 को आयोजित किया गया था।

लगभग 90 महिला कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा उन्हें अनुशासन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई ।

(2) " सफाई अभियान " कोल भवन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2012 को चलाया गया जब इन स्थलों का पर्यवेक्षण डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों द्वारा तथा कार्यालय परिसरों के विशेष सफाई के लिए किया गया क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क रहता है ।

(3) डब्ल्यूआईपीएस, सीआईएल(मुख्यालय) की वार्षिक संगोष्ठी 4 जुलाई, 2012 को बंगाल चेम्बर आफ कामर्स द्वारा आयोजित की गई थी जहां सीआईएल (मुख्यालय), डेस्क आफिस, कोलकाता तथा सीआईएल की सहायक कंपनियों से लगभग 150 महिला कर्मचारियों ने

भाग लिया । महिला कर्मचारी जो सहायक कंपनियों में गैर परम्परागत क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, को इस संगोष्ठी में बधाई दी गई ।

प्रमुख ओंकोलाजिस्ट ने महिलाओं में सर्वाइकल तथा ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता पर विचार किया । प्रोफेसर आई आई एस डब्ल्यू वी एम द्वारा तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान था ।

(4) समन्वयक की एक बैठक सम्मेलन हाल, कोल भवन में 5 जुलाई, 2012 को आयोजित की गई थी । सहायक कंपनियों से डब्ल्यूआईपीएस समन्वयकों तथा डब्ल्यूआईपीएस कार्यालय के पदाधिकारियों ने कार्यरत महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने क्रियाकलाप के बारे में चर्चा किया तथा अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए ।

(5) 27 अगस्त, 2012 को डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यगण दक्षिण 24 परगना के नामखाना स्थित सुदूर गांव शिवरामपुर बेसिक स्कूल के लगभग 204 सुविधाहीन बच्चों को डिक्सनरी, पेन, पेंसिल, कलर क्रेयांस, स्कूल बैग आदि अध्ययन सामग्री बांटने के लिए पहुंचे ।

ग्रामीणों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया ।

(6) दुर्गा पूजा के पहले अर्थात 16 अक्टूबर, 2012 को, सीआईएल (मुख्यालय) के डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों ने काजीपारा, बरासत में " प्रत्युष " के 50 बच्चों में प्रत्येक बच्चे को नए कपड़े देकर मुस्कराहट ला दी ।

(7) कोल भवन के सम्मेलन कक्ष में 17 अक्टूबर, 2012 को एक वादविवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । विषय था युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से वैश्विक रूप से कहीं अधिक ज्ञानी है । डब्ल्यूआईपीएस के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सदस्यों ने इस वादविवाद में उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

(8) बाल दिवस मनाने के लिए, सीआईएल (मुख्यालय) के डब्ल्यूआईपीएस सदस्यों ने सत्य नंदा विद्या निकेतन, बरूईपुर के सुविधाजनक बच्चों को उन्हें स्कूल बैग, एक्सरसाइज बुक्स, ड्राइंग कापी, पेंसिल, पेन और ड्राइ फूड देकर सहायता की ।

लगभग 240 छात्रों को 21 नवम्बर, 2012 को संपन्न इस कार्यक्रम द्वारा लाभ प्रदान किया गया।

(9) एक " औद्योगिक जागरूकता दौरा " दुर्गापुर स्टील प्लांट में 01 दिसम्बर, 2012 को आयोजित किया गया था । लगभग 40 डब्ल्यूआईपीएस सदस्यों ने डीएसपी के परिसरों का दौरा किया तथा कच्चे माल की अवस्था से अंतिम रूप से तैयार उत्पाद तक सुपर फास्ट ट्रेन के पहियों सहित विभिन्न स्टील मदों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की ।

(10) "उन्होंने अपना पैमाना बढ़ा दिया है" बीसीसीएल धनबाद में 8 दिसम्बर, 2012 को संपन्न डब्ल्यूआईपीएस के ईस्टर्न चैप्टर के क्षेत्रीय सम्मेलन का विषय था । सीआईएल (मुख्यालय) के पांच डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों ने सक्रिय रूप से उपर्युक्त बैठक में भाग लिया ।

(11) सीआईएल (मुख्यालय) के 7 डब्ल्यूआईपीएस सदस्य 12 एवं 13 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में संपन्न किए जाने के लिए डब्ल्यूआईपीएस की राष्ट्रीय बैठक में भाग लेंगे तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सदस्यों सहित संपूर्ण भारत से डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों के साथ अपने दृष्टिकोण का आदानप्रदान करेंगे ।

17.2.3 महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना

खान बालवाड़ी नियमावली, 1946 का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के बच्चों के स्वास्थ्य का

विकास और कल्याण करना है । छः वर्ष तक की उम्र के बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है । खान अधिनियम तथा खान बालवाड़ी नियमावली में महिला कर्मचारियों के विस्तृत मानक, कर्मचारियों की संख्या , निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार हवादार कमरे, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं तथा बच्चों की चिकित्सा देखरेख, समुचित पेजयल की सुविधाएं और बच्चों के उचित आहार की व्यवस्था है । बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है ।

कंपनी की महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ तथा समान पारिश्रमिक का लाभ पहुंचाकर मातृत्व लाभ अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधान को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

17.2.4 प्रशिक्षण

सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों का मुख्य बल महिला कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करना है । महिला कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है :

1) शावैल / डम्पर एक्सकेवेशन / पे लोडर प्रचालन
2) हॉलेज / पंखा / पंप प्रचालन
3) लेथ मशीन / मोल्डर / ड्रिलर
4) स्विच बोर्ड एटेंडेन्ट
5) आर्मेचर वाइंडिंग
6) सुरक्षा

17.2.5 अन्य कल्याणकारी उपाय

(क) महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य कार्यों जैसेअर्द्धचिकित्सा कर्मचारी, डाक्टर, कंप्यूटर व्यावसायिकों, सुरक्षा कार्मिकों आदि के लिए भी की जाती है ।

(ख) सीआईएल ने नर्स प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है जहां उद्योग के ईर्दगिर्द नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) महिला कर्मचारियों और पत्नियों / महिला आश्रितों के कल्याण की देखभाल करने के लिए विभिन्न यूनिटों / संस्थानों तथा कोलफील्ड क्षेत्रों में महिला मंडल, महिला समिति और ऐसे अन्य फोरम कार्यरत हैं । वे महिलाओं के लिए समयसमय पर परिचर्चा, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करते हैं ।

(घ) सीआईएल द्वारा आयोजित किए जा रहे खेलकूल कार्यक्रमों में महिला कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं । सुश्री सुमित लाहा ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारोत्तोलन में देश के लिए मेडल जीते हैं ।

(ड.) वेतन समझौते के अनुसार, जिस कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है उसकी महिला आश्रित को रोजगार तथा आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है ।

(च) राष्ट्रीय महिला आयोग तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर भेदभाव तथा यौन उत्पीड़न संबंधी महिला कर्मचारियों की शिकायतों की जांचपड़ताल करने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ।

(छ) विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों ने कर्मचारियों के सेवा नियमों / स्थायी आदेशों में संशोधन किया है ।

17.3 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

17.3.1 नामावली में महिला कर्मचारी

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार एनएलसी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 1315 है जिनमें अधिकारियों की संख्या 291 शामिल है ।

17.3.2 राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों पर कार्रवाई

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला कर्मचारियों को बचाने के लिए एक डाक्टर सहित वरिष्ठ महिला कार्यपालकों वाली एक समिति का गठन किया गया है।

कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों वाली " अंबालय " नामक एक सुसज्जित बालवाड़ी चलायी जा रही है ।

17.3.3 महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यकलाप

विप्स की एनएलसी शाखा ने महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए अनेक खेलकूद, सांस्कृतिक और सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित तथा संचालित की ।

कुशल परामर्श द्वारा महिला कर्मचारियों की शिकायतें दूर की जाती हैं ।

17.3.4 मृत्यु राहत कोष योजना

इस योजना में से मृतक कर्मचारियों के 62 आश्रितों ने कुल 5.28 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता प्राप्त की ।

17.3.5 पारिवारिक राहत

प्रत्येक वर्ष लगभग 25 आश्रितों को पारिवारिक राहत प्रदान की जाती है और इस योजना के कारण प्रतिमाह वित्तीय निकासी लगभग 1.69 लाख रू0 होती है ।

17.4 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0

17.4.1 महिला कर्मचारियों की संख्या

31.12.2012 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल

एमसीएल के ग्यारह क्षेत्र	1836
कारपोरेट और हैदराबाद कार्यालय	391
कुल	2227

कार्यपालक संवर्ग में	89
गैर कार्यपालक	2138
कुल	2227

17.4.2 कल्याण योजना

(क) कंपनी की महिला कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः क्रियान्वित किया जा रहा है । इस अधिनियम के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अवकाश मंजूर किया जाता है ।

(ख) सभी क्षेत्रों में प्रभावी कार्यकरण के लिए और संबंधित महिला प्रकोष्ठ के संयोजक को लिखित रूप में अपने रोजगार से संबंधित महिला कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान

निकालने के लिए महिला कर्मचारियों के महिला प्रकोष्ठों का गठन किया गया है । संबंधित क्षेत्र के महिला प्रकोष्ठ के संयोजक महिला कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान निकालने के लिए समिति के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें करते हैं ।

कारपोरेट महिला प्रकोष्ठ प्रति वर्ष 8 मार्च को महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोहों के संबंध में क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करते रहे हैं ।

(ग) बचत की आदत, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, सेवानिवृत्ति के बाद की योजना आदि के बारे में कामगारों और उनके परिवारजनों को कंपनी तथा बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की पत्नियों की सक्रिय भागीदारी से सभी क्षेत्रों में " सिंगरेनी इम्पलाईज वाइव्ज एसोसिएशन " (एसईडब्ल्यूए) नामक एक समिति का गठन किया गया है ।

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में महिला कर्मचारियों, उनके पति/पत्नियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्विज कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कि अवसर पर स्मृतिचिन्ह प्रदान किए जाते हैं ।

17.4.3 विशेष विकास कार्यक्रम :

एससीसीएल कंपनी अस्पतालों में 2012–13 के दौरान (अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक) 475 परिवार नियोजन आपरेशन किए गए ।

यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि के अलावा है ।

एससीसीएल अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है ।

एससीसीएल द्वारा निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं :

डिग्री कालेज (केवल छात्रा)	01
जूनियर कालेज (केवल छात्रा)	01
पॉलीटेक्निक कालेज	01
हाई स्कूल एवं अपर प्राइमरी स्कूल	11

ईएएमसीईटी/आईआईटी/एआईईईई(एनआईटी) आदि में 2000 से कम रैंक पाने वाले एससीसीएल के कर्मचारियों के बच्चों को इंजीनियरिंग /मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक छात्र को 10,000 रू0 की मेरिट छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा रही है ।

एससीसीएल कर्मचारियों के जो बच्चे यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उनको 4000/रू0 से 12000/ रू0 तक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा रही है ।

सिंगरेनी सेवा समिति (एसएसएस) द्वारा एससीसीएल के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्वयं रोजगार के योग्य हो सकें ।

एसआरकेएम कालेज आफ नर्सिंग, मैन्चेरियल में शैक्षिक वर्ष 2008–09 से एससीसीएल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला के लिए 50 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा की सीटें आरक्षित हैं ।

एससीसीएल ने अपने निरक्षर कामगारों तथा उनके पति/पत्नी के लिए एक व्यापक साक्षरता कार्यक्रम चालू किया है ।

वार्षिक दिवस समारोह के दौरान अर्थात 23 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों एवं कर्मचारियों की पत्नियों के लिए खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।